



FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

किस्म मुकदमा रोगेश्वर बनाम लक्ष्मी नारायण को.
 दावा स्वामी निषेधाज्ञा नं. 449 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>14.6.23</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.8.22 को पेश हो।</p>	
16-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-8-23 को पेश हो।</p>	
17-8-23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी व वकुलाय उमम पक्षदारम अनुपालित। प्रकरण में डेट रमाहित कर रुक-2 व एए-2 भावाज रिजवाई गई। वकील वादी व वकुलाय उमम पक्षदारम में से कोई धार्तर अडालत नहीं आये हैं। अतः वकील वादी व वकुलाय उमम पक्षदारम डी अनुपालित में दावा उद्घोषणा व स्वामी निषेधाज्ञा को अदम पेशवी व अदम हाजरी में जारिज किया जाता है। पत्रावली फिलत शुम्पट होमा एड वकील डाखित दफ्तर हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">  दिनेश सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	<p style="text-align: right;"> 17/08/23  </p>